

उदाहरण I	
<b>अ. एक वर्ष में बहुविध फसल उगाने वाले छोटे किसान</b>	
<b>1. अवधारणाएं :</b>	
क. जोत : 2 एकड़	
ख. फसल का पैटर्न : धान - 1 एकड़ (वित्त की मात्रा अधिक प्रति एकड़ फसल बीमा ₹ 11,000) : गन्ना -1 एकड़ (वित्त की मात्रा अधिक प्रति एकड़ फसल बीमा ₹ 22,000)	
ग. निवेश/संबद्ध गतिविधियां :	
i) प्रथम वर्ष में 1+1 डेरी यूनिट की स्थापना (यूनिट लागत ₹ 20,000 प्रति पशु)	
ii) तीसरे वर्ष में पंपसेट बदलना (यूनिट लागत ₹ 30,000)	
2. i) फसल ऋण घटक	
धान की 1 एकड़ और गन्ने की 1 एकड़ खेती की लागत (11,000 + 22,000)	: ₹ 33,000
जोडिए : फसलोत्तर/घरेलू खर्च/खपत के प्रति 10%	: ₹ 3,300
जोडिए : फार्म के रखरखाव के प्रति 20%	: ₹ 6,600
<b>प्रथम वर्ष के लिए कुल फसल ऋण सीमा</b>	<b>: ₹ 42,900</b>
<b>दूसरे वर्ष के लिए ऋण सीमा</b>	
जोडिए : लागत वृद्धि/वित्त की मात्रा में बढ़ोतरी के प्रति सीमा का 10% (42,900 का 10% अर्थात 4,300)	: ₹ 4,300
	<b>: ₹ 47,200</b>
<b>तीसरे वर्ष के लिए ऋण सीमा</b>	
जोडिए : लागत वृद्धि/वित्त की मात्रा में बढ़ोतरी के प्रति सीमा का 10% (47,200 का 10% अर्थात 4,700)	: ₹ 4,700
	<b>: ₹ 51,900</b>
<b>चौथे वर्ष के लिए ऋण सीमा</b>	
जोडिए : लागत वृद्धि/वित्त की मात्रा में बढ़ोतरी के प्रति सीमा का 10% (51,900 का 10% अर्थात 5,200)	: ₹ 5,200
	<b>: ₹ 57,100</b>
<b>पांचवे वर्ष के लिए ऋण सीमा</b>	
जोडिए : लागत वृद्धि/वित्त की मात्रा में बढ़ोतरी के प्रति सीमा का 10% (57,100 का 10% अर्थात 5,700)	: ₹ 5,700
	<b>: ₹ 62,000</b>
जैसे ....(ए)	
	<b>₹ 63,000</b>
<b>(ii) मीयादी ऋण घटक :</b>	
प्रथम वर्ष : 1+1 डेरी यूनिट की लागत	: ₹ 40,000
तीसरे वर्ष : पंपसेट को बदलना	: ₹ 30,000
<b>कुल मीयादी ऋण राशि</b> .....(बी)	<b>: ₹ 70,000</b>

अधिकतम अनुमत सीमा/	: ₹ 1.33 लाख
किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट (ए) + (बी)	: ₹ 1,33,000
टिप्पणी :	
प्राप्त किए गए मीयादी ऋण (ऋणों) की चुकौती के शेड्यूल के आधार पर आहरण सीमा प्रत्येक वर्ष घटा दी जाएगी और आहरण सीमा की मात्रा तक राशियां आहिरत करने की अनुमित दी जाएगी।	
<b>आ : एक वर्ष बहुविध फसल उगानेवाले किसान</b>	
1. अवधारणाएं :	
2. जोत : 10 एकड़	
3. फसल का पैटर्न :	
धान - 5 एकड़ (वित्त की मात्रा अधिक प्रति एकड़ फसल बीमा : ₹ 11,000)	
इसके बाद मूंगफली - 5 एकड़ (वित्त की मात्रा अधिक प्रति एकड़ फसल बीमा : ₹ 10,000)	
गन्ना - 5 एकड़ (वित्त की मात्रा अधिक प्रति एकड़ फसल बीमा : ₹ 22,000)	
4. निवेश/संबद्ध गतिविधियां :	
(i) प्रथम वर्ष में 1+1 डेरी यूनिट स्थापना (यूनिट लागत ₹ 50,000 )	
(ii) प्रथम वर्ष में ट्रैक्टर की खरीद (यूनिट लागत ₹ 6,00,000)	
<b>2. कार्ड सीमा का निर्धारण</b>	
(i) <b>फसल ऋण घटक</b>	
धान की 5 एकड़, मूंगफली की 5 एकड़ और गन्ने की 5 एकड़ खेती	: ₹ 2,15,000
जोडिए : फसलोत्तर/घरेलू खर्च/खपत के प्रति 10%	: ₹ 21,500
जोडिए : फार्म के रखरखाव के प्रति 20%	: ₹ 43,000
<b>प्रथम वर्ष के लिए कुल फसल ऋण सीमा</b>	<b>: ₹ 2,79,500</b>
<b>दूसरे वर्ष के लिए ऋण सीमा</b>	
जोडिए : लागत वृद्धि/वित्त की मात्रा में बढ़ोतरी के प्रति सीमा का 10%	
(2,79,500 का 10% अर्थात 27,950)	: ₹ 27,950
	<b>: ₹ 3,07,450</b>
<b>तीसरे वर्ष के लिए ऋण सीमा</b>	
जोडिए : लागत वृद्धि/वित्त की मात्रा में बढ़ोतरी के प्रति सीमा का 10%	
(3,07,450 का 10% अर्थात 30,750)	: ₹ 30,750
	<b>: ₹ 3,38,200</b>
<b>चौथे वर्ष के लिए ऋण सीमा</b>	
जोडिए : लागत वृद्धि/वित्त की मात्रा में बढ़ोतरी के प्रति सीमा का 10%	
(3,38,200 का 10% अर्थात 33,800)	: ₹ 33,800
	<b>: ₹ 3,72,000</b>

<b>पांचवे वर्ष के लिए ऋण सीमा</b>	
जोड़िए : लागत वृद्धि/वित्त की मात्रा में बढ़ोतरी के प्रति सीमा का 10%	
(3,72,000 का 10% अर्थात् 37,200)	: ₹ 37,200
	: ₹ 4,09,200
जैसे ....	: ₹ 4,09,000....
<b>(ए)</b>	
<b>(ii) मीयादी ऋण घटक :</b>	
प्रथम वर्ष : 1 + 1 डेरी यूनिट की लागत	: ₹ 1,00,000
: ट्रैक्टर की खरीद	: ₹ 6,00,000
<b>कुल मीयादी ऋण राशि ....(बी)</b>	<b>: ₹ 7,00,000</b>
<b>अधिकतम अनुमत सीमा/</b>	
<b>किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट (ए) + (बी)</b>	<b>: ₹ 11,09,000</b>
प्राप्त किए गए मीयादी ऋण (ऋणों) की चुकौती के शेड्यूल के आधार पर आहरण सीमा प्रत्येक वर्ष घटा दी जाएगी और आहरण सीमा की मात्रा तक राशियां आहिरत करने की अनुमित दी जाएगी।	